मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक एफ–2–12/2016/अ–तेहत्तर भोपाल, दिनांक 20/04/2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
शासन के समस्त विभागाध्यक्ष,
शासन के समस्त निगम/मंडल

विषयः– डिसरपटिव टेक्नॉलॉजी (Disruptive Technology) आधारित सेवाओं का उपयोग।

———

म.प्र. में स्टार्टअप को अधिकाधिक सुविधाजनक वातावरण प्राप्त हो तथा प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा मिले इस उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग लगातार प्रयासरत है । इन प्रयासों के अन्तर्गत "मध्य प्रदेश इन्क्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016" के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु "मध्य प्रदेश इन्क्यूबेशन एवं स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम 2016", जारी की गई।

भारत शासन, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रदेशों में स्टार्टअप के प्रोत्साहन हेतु स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेम वर्क 2018 जारी करते हुए, राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे स्टार्टअप हेतु विभिन्न सुविधाओं का विस्तार करेंगे। फ्रेम वर्क के अंतर्गत नवीन क्षेत्रों तथा Disruptive Technology के उपयोग पर बल दिया गया है। अतः शासन के विभिन्न विभाग उन क्षेत्रों को चिन्हित करने का प्रयास करेंगे, जिन क्षेत्रों में Disruptive Technology का उपयोग किया जा कर लोकहित से जुड़ी समस्याओं का Innovative Solutions बनाये जा सकते है, और विकसित की गई Disruptive Technology आधारित सेवाओं के उपयोग पर विचार कर सकेंगे।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग

क्रमांक एफ–2–12/2016/अ–तेहत्तर भोपाल, दिनांक 20/04/2018

प्रतिलिपि :–

1. मध्य प्रदेश वेन्चर केपीटल फण्ड लि. इन्दौर।
2. मध्य प्रदेश के इन्क्यूबेशन सेन्टर/ तकनीकी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय महत्व के संस्थान ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग